


प्रेषक,

जिला नगर योजनाकार,
फतेहाबाद ।

सेवा में,

उपायुक्त,
फतेहाबाद । (M.A.)



यादि क्रमांक :- FT/DTP-P/ 547/18 दिनांक :- 19-3-18

विषय:- विद्यालय के लिये (Genuinenss Certificate) अनुमति प्रदान किये जाने हेतु।

हवाला :- आपके कार्यालय के यादि क्रमांक 1515-20/विविध दिनांक 27.02.2018 के सन्दर्भ में।

हवालाधीन पत्र के सन्दर्भ में अवगत करवाया जाता है कि चौधरी बस्तीराम भाखर मैमोरियल एज्युकेशन ट्रस्ट, भट्टू कलां तहसील व जिला फतेहाबाद गांव भट्टू कलां के खसरा न0 181//7/1, 14/2, 16/2, 18 कुल रकबा 19 कनाल 9 मरले में स्कूल भवन का निर्माण करना चाहता है। उपरोक्त रकबें में निर्माण करने से पूर्व निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ से भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति ली जानी अनिवार्य है। ट्रस्ट द्वारा अपने नाम 30 साल के लिये भूमि पट्टे पर ली गई है किन्तु विभाग के नियमानुसार ट्रस्ट के नाम 99 वर्ष का पट्टा/मलकियत होना अनिवार्य है। भूमि उपयोग में परिवर्तन की अनुमति के लिये आप द्वारा जारी किया गया Genuinenss Certificate एक आवश्यक दस्तावेज है जो कि आपके कार्यालय द्वारा जारी किया जाना है।

जिला नगर योजनाकार,
फतेहाबाद ।